-

प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

05 वारण्टी गिरफ्तार

जनपद सीतापुर में अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु एवम् वांछित अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही व गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक श्री आर. पी. सिंह द्वारा निरंतर प्रभावी अभियान चलाया जा रहा है।

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाये जा रहे अभियान के आदेश के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी/दक्षिणी महोदय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारीगण के नेतृत्व में दिनांक 17.02.2021 को थाना महमूदाबाद, सकरन व लहरपुर द्वारा कुल 05 वारंटियों को गिरफ्तार करने मे सफलता प्राप्त की। गिरफ्तार वारण्टीगण को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

1. **थाना महमूदाबाद द्वारा 01 वारंटी गिरफ्तार-** एस.टी नम्बर 248/18 धारा 125(3) जा0फौ0 प्रधान न्यायाधीश महोदय, पारिवारिक न्यायालय प्रथम बाराबंकी से संबंधित वाद में वारंटी उमेश चन्द्र पुत्र लल्लूराम निवासी ग्राम जसमण्डा थाना महमूदाबाद जनपद सीतापुर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

2. **<u>थाना सकरन द्वारा 01 वारंटी गिरफ्तार-</u>** थाना स्थानीय से संबंधित मु0अ0सं0 93/01 धारा 2/3 यूपी गैंगेस्टर एक्ट से संबंधित वाद में वारंटी जयराज श्रीवास्तव पुत्र कृष्णदयाल निवासी ग्राम सिरकिडा थाना सकरन जनपद सीतापुर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

3. **<u>थाना लहरपुर द्वारा 03 वारंटी गिरफ्तार-</u>** थाना स्थानीय से संबंधित मु0अ0सं0 54/89 धारा 394/411 भा.द.वि से संबंधित वाद 3447/06 में वारंटी बदलूराम पुत्र मैकू निवासी ग्राम पतवारा थाना लहरपुर जनपद सीतापुर को, मु0अ0सं0 180/15 धारा 307 भा.द.वि. से सम्बन्धित वाद में वारण्टी प्रेमप्रकाश पुत्र रामपाल निवासी ग्राम महमूदपुर थाना लहरपुर जनपद सीतापुर को तथा मु0अ0सं0 64/2000 धारा 457/380 भा.द.वि से सम्बन्धित वाद 4736/06 व मु0अ0सं0 17/95 धारा 457/380/411 भा.द.वि से सम्बन्धित वाद 3282/06 में वारण्टी मुन्ना यादव पुत्र रामआसरे निवासी ग्राम गंगुवा बेहड़ थाना लहरपुर जनपद सीतापुर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।